

राजस्व लाक
न्याय आपके द्वार केम्प.....2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018 / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

संख्या / / 2018

दायर दि० 24/5/2018
फैसल दि० 24/5/2018

अनवान
बनाम

सुखलाल पि.
खेमजी परैल
(वादी)

भूमिधारी
तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री सुखलाल पि. खेमजी ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा शाहवाडा के खाता नम्बर 313 जमाबन्दी सं० 2072-75
में अंकित स्वयं/मित्त का नाम हुका

गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम


सुखलाल है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम हुका
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/मित्त का सही नाम सुखलाल होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा शाहवाडा की जमाबन्दी संवत् 2072-75 के
खाता संख्या 313 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम

हुका में संशोधन कर राही नाम सुखलाल दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा